रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

# भारत का राजपत्र
# The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

| | |
|---|---|
| सं. 130] | नई दिल्ली, सोमवार, फरवरी 25, 2019/फाल्गुन 6, 1940 |
| No. 130] | NEW DELHI, MONDAY, FEBRUARY 25, 2019/ PHALGUNA 6, 1940 |


## संचार मंत्रालय

**(दूरसंचार विभाग)**

## अधिसूचना

नई दिल्ली, 25 फरवरी, 2019

**सा.का.नि. 146(अ).—**राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, दूरसंचार इंजीनियरी सेवा (समूह "ख" पद) भर्ती नियम, 1996 और कनिष्ठ दूरसंचार अधिकारी भर्ती नियम,1999 को उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण के पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, संचार मंत्रालय के दूरसंचार विभाग में उपमंडलीय इंजीनियर और कनिष्ठ दूरसंचार अधिकारी के पदों पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते है अर्थात्:-

**1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.-** (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम संचार मंत्रालय, दूरसंचार विभाग, दूरसंचार इंजीनियरी सेवा (समूह "ख" पद) भर्ती नियम, 2019 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

**2. पद-संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर.-** उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर वे होंगे जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

**3. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं आदि.-** उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

**4. प्रादेशिक सेना के अधीन सेवा.-** ऐसे व्यक्ति, जिन्होंने चालीस वर्ष की आयु प्राप्त नहीं की है, यदि अपेक्षित हो तो प्रादेशिक सेना अधिनियम, 1948 (1948 का 56) की धारा 6क के उपबंधों और उसके अधीन बनाए गए नियमों के अधीन प्रादेशिक सेना में सेवा करने के दायित्वाधीन होगा।

**5. स्थानांतरण के लिए दायित्व.-** उक्त पदों पर नियुक्त किए गए व्यक्ति भारत में कहीं भी स्थानान्तरण के दायित्वाधीन होंगे।

**6. निरर्हता.-** वह व्यक्ति-

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित हैं, विवाह किया है, या विवाह की संविदा की है; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है, या विवाह की संविदा की है

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा:

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह उस व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

**7. शिथिल करने की शक्ति.-** जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके, तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

**8. व्यावृत्ति.-** इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षणों, आयु-सीमा में छूट और रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़ें वर्गों**,** दिव्यांगजनों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

**अनुसूची**

| **पद का नाम** | **पदों की संख्या** | **वर्गीकरण** | **वेतन मैट्रिक्स में स्तर** | **चयन पद है अथवा अचयन पद** |
|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| 1. उप मंडलीय इंजीनियर | 364 *<br>(2018)<br>*कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है। | साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ख', राजपत्रित, अननुसचिवीय | स्तर-8 (47600-151100 रु.) | चयन पद। |

| **सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा** | **सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अहर्ताएं** | **सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अहर्ताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी** | **परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो** |
|---|---|---|---|
| (6) | (7) | (8) | (9) |
| लागू नहीं होता। | लागू नहीं होता। | लागू नहीं होता। | पुनर्नियोजित सशस्त्र बल कार्मिकों के लिए दो वर्ष । |

| **भर्ती की पद्धति: भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता** | **प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा** |
|---|---|
| (10) | (11) |
| दस प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा, जिसके न हो सकने की दशा में प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्प-कालिक संविदा भी है) द्वारा;<br>नब्बे प्रतिशत प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्प-कालिक संविदा भी है) द्वारा, या भूतपूर्व सैनिकों के पुनर्नियोजन द्वारा । | **प्रोन्नति:**<br>वेतन मैट्रिक्स में स्तर 7 (44900-142400 रु.) में विभाग के ऐसे कनिष्ठ दूरसंचार अधिकारी जिन्होंने 2 वर्ष की नियमित सेवा की हो और जिन्होंने दो सप्ताह की विहित सेवा कालीन प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूर्ण कर लिया है।<br>**टिप्पण:** जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, |

| | |
|---|---|
| | वहां उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परन्तु यह तब जब कि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, से कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।<br>**प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है):**<br>केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकारों या संघ राज्य क्षेत्रों या पब्लिक सेक्टर उपक्रमों या विश्वविद्यालयों या मान्यताप्राप्त अनुसंधान संस्थाओं या कानूनी या स्वशासी निकायों के ऐसे अधिकारी:<br>(क) (i) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किया हुआ है; या<br>(ii) जो मूल काडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स में स्तर-7 (44900-142400 रु.) या समतुल्य में उस पद पर नियमित आधार पर नियुक्त होने के पश्चात उस श्रेणी में दो वर्ष की सेवा किए हों, या<br>(iii) जो मूल काडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स में स्तर-6 (35400-112400 रु.) या समतुल्य में उस पद पर नियमित आधार पर नियुक्त होने के पश्चात उस श्रेणी में छ: वर्ष की सेवा किए हों; और<br>(ख) जो निम्नलिखित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव धारण करते हों :<br>1. (i) भारत की संसद या राज्य विधान मंडल के किसी अधिनियम द्वारा निगमित किसी विश्वविद्यालय की या संसद के अधिनियम द्वारा स्थापित या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 (1956 का 3) की धारा 3 के अधीन विश्वविद्यालय के रुप में मानी गई किसी अन्य शिक्षा संस्थान से 'विद्युत' या 'इलेक्ट्रॉनिक्स' या 'विद्युत संचार' या 'कंप्यूटर विज्ञान' या 'दूरसंचार' या 'सूचना प्रौद्योगिकी' या 'साधन विनियोग' में इंजीनियरी अथवा प्रौद्योगिकी में स्नातक की डिग्री; या<br>(ii) इंजीनियरी की संस्था (भारत) की संस्था परीक्षा का भाग 'क' और 'ख' उत्तीर्ण हो ; या<br>(iii) किसी विदेशी विश्वविद्यालय या महाविद्यालय या संस्था से इंजीनियरी में डिग्री या डिप्लोमा होना चाहिए, जिसे समय-समय पर इस प्रयोजन के लिए सरकार द्वारा मान्यताप्राप्त हो; या<br>(iv) इलैक्ट्रानिकी और दूरसंचार इंजीनियरी की संस्था (भारत) की ग्रेजुएट मैम्बरशिप परीक्षा उत्तीर्ण हो; या<br>(v) नवम्बर, 1959 के बाद ली गई इलैक्ट्रानिकी और रेडियो इंजीनियरी की संस्था (लंदन) की ग्रेजुएट मैम्बरशिप परीक्षा उत्तीर्ण हो; या<br>(vi) भारतीय वैमानिकी सोसायटी की एसोसिएट मैम्बरशिप परीक्षा भाग II और 3 या खंड 'क' और 'ख' उत्तीर्ण हो; और<br>2. दूरसंचार और प्रशासन के क्षेत्र में दो वर्ष का अनुभव।<br>**टिप्पण 1 :** पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में है, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे।<br>**टिप्पण 2 :** प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है |

| | |
|---|---|
| | साधारणतया 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।<br>**भूतपूर्व सैनिकों के लिए:**<br>**प्रतिनियुक्ति और पुनर्नियोजन:**<br>सशस्त्र बलों के ऐसे कार्मिकों जो सूबेदार-मेजर (स्तर-8), सूबेदार (स्तर-7) और नायब-सूबेदार (स्तर-6) की रैंक या वायु सेना या नौ सेना में समतुल्य रैंक के हैं, के संबंध में भी विचार किया जाएगा जो एक वर्ष की अवधि के भीतर सेवानिवृत्त होने वाले हैं या रिजर्व में स्थानान्तरित किए जाने वाले हैं और जिनके पास यथाविहित यथोपरोक्त अनुभव और अर्हतांए हैं। यदि चयनित होते हैं तो ऐसे अधिकारियों को उस तारीख तक प्रतिनियुक्ति के निबंधनों पर रखा जाएगा जिस तारीख से उन्हें सशस्त्र बल से निर्मुक्त किया जाना है; तत्पश्चात उन्हें पुनर्नियोजन पर बने रहने दिया जा सकता है । |

| **यदि विभागीय प्रोन्नति समिति हे, तो उसकी संरचना** | **भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा** |
|---|---|
| (12) | (13) |
| **1. समूह 'ख' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे:-**<br>1. सलाहकार, दूरसंचार विभाग - अध्यक्ष<br>2. उप महानिदेशक, दूरसंचार विभाग - सदस्य<br>3. निदेशक, दूरसंचार विभाग - सदस्य<br>**2. समूह 'ख' विभागीय पुष्टि समिति (पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे:-**<br>1. सलाहकार, दूरसंचार विभाग - अध्यक्ष<br>2. उप महानिदेशक, दूरसंचार विभाग -सदस्य<br>3. निदेशक, दूरसंचार विभाग - सदस्य | प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्प कालिक संविदा भी है) या पुनर्नियोजन के आधार पर नियुक्ति करते समय संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है । |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
|---|---|---|---|---|
| 2. कनिष्ठ दूरसंचार अधिकारी | 106*<br>(2018)<br>*कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है। | साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ख', राजपत्रित, अननुसचिवीय | स्तर-7 (44900-142400 रु.) | लागू नहीं होता। |

| (6) | (7) | (8) | (9) |
|---|---|---|---|
| 30 वर्ष से अधिक नहीं<br>(केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए 5 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है।)<br>**टिप्पण :** आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख वह होगी | **आवश्यक:**<br>भारत की संसद या राज्य विधान मंडल के किसी अधिनियम द्वारा निगमित किसी विश्वविद्यालय की या संसद के अधिनियम द्वारा स्थापित या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 (1956 का 3) की धारा 3 के अधीन विश्वविद्यालय के रुप में मानी गई किसी अन्य शिक्षा संस्थान से 'विद्युत' या 'इलेक्ट्रॉनिक्स' या 'विद्युत संचार' या 'कंप्यूटर विज्ञान' या 'दूरसंचार' या 'सूचना प्रौद्योगिकी' या 'साधन विनियोग' में | लागू नहीं होता। | दो वर्ष ।<br>**टिप्पण :** परिवीक्षा के भाग के रुप में पद के कर्त्तव्यों के क्षेत्र में छह मास का प्रवेश-प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूर्ण किया हो। |

| | | | |
|---|---|---|---|
| जैसा कि संघ लोक सेवा आयोग द्वारा विज्ञापित की जाएगी। | इंजीनियरी अथवा प्रौद्योगिकी में स्नातक की डिग्री; या<br>इंजीनियरी की संस्था (भारत) की संस्था परीक्षा का भाग 'क' और 'ख' उत्तीर्ण हो ; या<br>किसी विदेशी विश्वविद्यालय या महाविद्यालय या संस्था से इंजीनियरी में डिग्री या डिप्लोमा होना चाहिए, जिसे समय-समय पर इस प्रयोजन के लिए सरकार द्वारा मान्यताप्राप्त हो; या<br>इलैक्ट्रानिकी और दूरसंचार इंजीनियरी की संस्था (भारत) की ग्रेजुएट मैम्बरशिप परीक्षा उत्तीर्ण हो ; या<br>नवम्बर, 1959 के बाद ली गई इलैक्ट्रानिकी और रेडियो इंजीनियरी की संस्था(लंदन) की ग्रेजुएट मैम्बरशिप परीक्षा उत्तीर्ण हो; या<br>भारतीय वैमानिकी सोसायटी की एसोसिएट मैम्बरशिप परीक्षा भाग II और 3 या खंड 'क' और 'ख' उत्तीर्ण हो; या<br>कोई अन्य अर्हता जो इंजीनियरिंग सेवा परीक्षा में प्रवेश के प्रयोजन हेतु संघ लोक सेवा आयोग के परामर्श से सरकार द्वारा मान्यताप्राप्त हो।<br>**टिप्पण 1 :** अर्हताएं अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती हैं।<br>**टिप्पण 2 :** अनुभव संबंधी अर्हता (अर्हताएं) संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती है जब चयन के किसी प्रक्रम पर संघ लोक सेवा आयोग की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है । | | |

| (10) | (11) |
|---|---|
| **सीधी भर्ती द्वारा।**<br>**टिप्पण :** पदधारी के प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण या लंबी बीमारी या अध्ययन छुटटी या किसी अन्य परिस्थिति में एक वर्ष या अधिक अवधि के लिए बाहर रहने के कारण हुई रिक्तियां केन्द्रीय सरकार के ऐसे अधिकारियों में से प्रतिनियुक्ति के आधार पर भरी जा सकेंगी।<br>(क) (i) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए है; या<br>(ii) जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स के स्तर -6 (35400-112400) में उस पद पर पांच वर्ष की नियमित सेवा की हो; और<br>(ख) जिनके पास स्तम्भ (7) के अधीन सीधी भर्ती होने वाले व्यक्तियों के लिए विहित अर्हताएं और अनुभव हो।<br>(प्रतिनियुक्ति की अवधि जिसके अंतर्गत केंद्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति के ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।) | लागू नहीं होता। |

| (12) | (13) |
|---|---|
| **समूह 'ख' विभागीय पुष्टि समिति जिसमें निम्नलिखित होंगे:-**<br>1. ज्येष्ठ उप महानिदेशक, दूरसंचार विभाग - अध्यक्ष<br>2. उप महानिदेशक, दूरसंचार विभाग - सदस्य<br>3. निदेशक, दूरसंचार विभाग - सदस्य | संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है। |

[फा. सं. 9-11(1)/2018 स्थापना (आरआर)/टीईएस]

मुक्ता गोयल, निदेशक (स्थापना)

**MINISTRY OF COMMUNICATIONS**

**(Department of Telecommunications)**

**NOTIFICATION**

New Delhi, the 25th February, 2019

**G.S.R. 146(E).—**In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Telecommunications Engineering Service (Group "B" posts) Recruitment Rules, 1996 and the Junior Telecom Officer Recruitment Rules, 1999 except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules for regulating the method of recruitment to the posts of Sub-Divisional engineer and Junior Telecom Officer in the Department of Telecommunications, Ministry of Communications, namely: -

**1.** **Short title and commencement**.- (1) These rules may be called the Ministry of Communications, Department of Telecommunications, Telecommunications Engineering Service (Group 'B' Posts) Recruitment Rules, 2019.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

**2.** **Number of the Posts, classifications and level in pay matrix.-** The number of the said posts, their classification, and level in pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

**3.** **Method of recruitment, age-limit and other qualifications etc..-** The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in columns (5) to (13) of the Schedule aforesaid.

**4.** **Service under the Territorial Army.-** Persons appointed to the said posts, who has not completed the age of forty years shall if so required, be liable to serve in the Territorial Army subject to the provisions of section 6 A of the Territorial Army Act, 1948 (56 of 1948) and the rules made there under.

**5.** **Liability for Transfer.-** Persons appointed to the said posts shall be liable to transfer anywhere in India.

**6.** **Disqualification.-** No person, -

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to any of the said posts:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

**7.** **Power to relax.-** Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing, and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules in respect of any class or category of persons or posts.

**8.** **Savings.-** Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Other Backward Classes, Persons with Disabilities, Ex-Servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

**SCHEDULE**

| **Name of Post** | **Number of Posts** | **Classification** | **Level in pay matrix** | **Whether Selection post or Non-Selection post** |
|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| 1. Sub-Divisional Engineer | 364*<br>*(2018) Subject to variation dependent on workload. | General Central Service, Gazetted, Group 'B', Non-ministerial. | Level 8<br>(Rs. 47600-151100). | Selection post. |

| **Age-Limit for Direct Recruits** | **Educational and other Qualification required for direct recruits** | **Whether age and essential qualification prescribed for Direct recruitment will apply in case of promotees** | **Period of Probation, if any.** |
|---|---|---|---|
| (6) | (7) | (8) | (9) |
| Not applicable. | Not applicable. | Not applicable. | Two years for Armed Forces personnel re-employed. |

| **Method of Recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods** | **In case of recruitment by promotion or deputation/absorption, grades from which promotion or deputation/absorption to be made** |
|---|---|
| (10) | (11) |
| Ten per cent. by promotion failing which by deputation including short-term contract.,<br>Ninety per cent. by deputation (including short term contract) or re-employment of Ex-Servicemen. | **Promotion:**<br>Junior Telecom Officer of Department of Telecommunications in Level 7 in the pay matrix (Rs: 44900-142400) with 2 years regular service and who have successfully completed two weeks prescribed in-service Training.<br>**Note :** Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors shall also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.<br>**Deputation (including short term contract):**<br>Officers from the Central or State Governments or Union Territories or Public Sector Undertakings or Universities or Recognised Research Institutions or Statutory and Autonomous bodies:<br>(a)(i) holding analogous posts on regular basis in the parent cadre or department; or<br>(ii) with two years service in the level rendered after appointment thereto on a regular basis in posts in level-7 (Rs. 44900-142400) in the pay matrix or equivalent in the parent cadre or department; or<br>(iii) with six years service in the level rendered after appointment to the post on a regular basis the level-6 (Rs. 35400-112400) in the pay matrix or equivalent in the parent cadre or department; and<br>(b) possessing the following educational qualifications and experience:<br>1.<br>(i) Bachelor degree in Engineering or Technology in Electrical or Electronics or Electrical Communication or Computer Science or |

| | |
|---|---|
| | Telecommunications or Information Technology or Instrumentation from a University incorporated by an Act of the Central or State Legislature in India or other Educational Institutes established by an Act of Parliament or declared to be deemed as University under Section 3 of the University Grants Commission Act, 1956; or<br>(ii) passed Sections A and B of the Institution Examinations of the Institution of Engineers (India); or<br>(iii) obtained a Degree or Diploma in Engineering, from such foreign University or College or Institution and under such conditions as may be recognised by the Government for the purpose from time to time; or<br>(iv) passed Graduate Membership Examination of the Institution of Electronics and Telecommunication Engineers (India); or<br>(v) passed Graduate Membership Examination of the Institution of Electronics and Radio Engineers, London held after November, 1959; or<br>(vi) passed Associate Membership Examination Parts II and III or Sections A and B of the Aeronautical Society of India; and<br>2. Two year experience in field of Telecommunications and Administration.<br>**Note 1 :** The departmental officers in the feeder grade who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. similarly, the deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.<br>**Note 2 :** the period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the central government shall ordinarily not to exceed 3 years. The maximum age-limit for appointment by deputation shall be not exceeding 56 years as on the closing date on receipt of applications.<br>**For Ex-Servicemen:**<br>**Deputation or Re-Employment:**<br>The armed forces personnel of the rank of Subedar-Major (level 8), Subedar (level 7 and Naib-Subedar (level 6) or equivalent rank in Air Force or Navy who are due to retire or to be transferred to reserve within a period of one year and have the qualifications and experience as prescribed as above shall also be considered. If selected, such officers will be given deputation terms up to the date on which they are due for release from the armed forces; thereafter they may be continued on re-employment terms. |

| **If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition** | **Circumstances in which UPSC to be consulted in making recruitments** |
|---|---|
| (12) | (13) |
| **1. Group 'B' Departmental Promotion Committee consisting of:**<br>(1) Advisor, Department of Telecommunication - Chairman<br>(2) Deputy Director General, Department of Telecommunications – Member<br>(3) Director, Department of Telecommunications – Member<br>**2. Group 'B' Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation of Ex-Serviceman) consisting of:**<br>(1) Advisor, Department of Telecommunications - Chairman<br>(2) Deputy Director General, Department of Telecommunications - Member<br>(3) Director, Department of Telecommunications - Member | Consultation with Union Public Service Commission necessary while appointing an officer on deputation (including short term contract) or re-employment basis. |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
|---|---|---|---|---|
| 2. Junior Telecom Officer | 106*<br>*(2018) Subject to variation dependent on workload. | General Central Service, Gazetted Group 'B', Non-ministerial | Level 7<br>(Rs. 44900-142400). | Not applicable. |

| (6) | (7) | (8) | (9) |
|---|---|---|---|
| Not exceeding 30 years<br>(Relaxable for Government servant up to 5 years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government from time to time)<br>**Note:** The crucial date for determining the age-limit shall be as advertised by the Union Public Service Commission. | **Essentials:**<br>Bachelor degree in Engineering or Technology in Electrical or Electronics or Electrical Communication or Computer Science or Telecommunications or Information Technology or Instrumentation from a University incorporated by an Act of the Central or State Legislature in India or other Educational Institutes established by an Act of Parliament or declared to be deemed as University under Section 3 of the University Grants Commission Act, 1956;<br>or<br>passed Sections A and B of the Institution Examinations of the Institution of Engineers (India);<br>or<br>obtained a Degree or Diploma in Engineering, from such foreign University or College or Institution and under such conditions as may be recognised by the Government for the purpose from time to time;<br>or<br>passed Graduate Membership Examination of the Institution of Electronics and Telecommunication Engineers (India);<br>or<br>passed Graduate Membership Examination of the Institution of Electronics and Radio Engineers, London held after November, 1959:<br>or<br>passed Associate Membership Examination Parts II and III or Sections A and B of the Aeronautical Society of India<br>or<br>any other qualification which has been recognized by the Government in consultation with the Union Public Service Commission for the purpose of admission to the Engineering Services Examination.<br>**Note 1:** Qualifications are relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission in case of candidate otherwise well qualified. | Not applicable. | Two years.<br>**Note:** Successful completion of six months' Induction Training in the field of duties of the post as part of probation. |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | **Note 2 :** The qualification(s) regarding experience is/are relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission, for reasons to be recorded in writing in the case of candidates belonging to Scheduled Castes or Scheduled Tribes if at any stage of selection the Union Public Service Commission, is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancies reserved for them. | | |

| (10) | (11) |
|---|---|
| By direct recruitment.<br><br>**Note:** Vacancies caused by the incumbent being away on deputation or long illness or study leave or under other circumstances for a duration of one year or more may be filled on deputation basis from officers of Central Government.<br>(a)<br>(i) holding analogous posts on regular basis in the parent cadre or department; or<br>(ii) with five years regular service in posts in level 6 of the pay matrix (Rs. 35400-112400); and<br>(b) possessing the qualifications and experience prescribed for direct recruits under Column (7).<br>(Period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organization/department of the central govt. shall ordinarily not to exceed three years. The maximum age limit for appointment by deputation shall be not exceeding 56 years as on the closing date of receipt of applications). | Not applicable. |

| (12) | (13) |
|---|---|
| **Group 'B' Departmental Confirmation Committee, consisting of:**<br>(1) Senior Deputy Director General, Department of Telecommunications – Chairman<br>(2) Deputy Director General, Department of Telecommunications – Member<br>(3) Director, Department of Telecommunications – Member | Consultation with Union Public Service Commission necessary. |

[F. No. 9-11(1)/2018-Estt. (RR)/TES]

MUKTA GOEL, Director (Establishment)

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

ALOK KUMAR

Digitally signed by ALOK KUMAR
Date: 2019.02.26 15:57:59 +05'30'